फर्द अहकाम

प्रभाती बनाम मन्नी वगै.

न्यायालय ACM चौमू

...स संख्या 13/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/3/24	प.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु आगामी दिनांक को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/3/24 को पेश हो।	
	21/3/24	प.क्र.उप.। प्रा.पत्र 039R7 सपठित धारा 151 CPC का पेश हुआ। नकल दिलाई गयी। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु आगामी दिनांक 03/4/24 को पेश हो।	
	03/4/24	प.क्र.उप.। प्रा.पत्र 039R7 सपठित धारा 151 CPC का प्रतिवादी अधिवक्ता जवाब न देकर मौखिक बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रा.पत्र 039R7 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रा.पत्र 039R7 सपठित धारा 151 CPC खारिज किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु आगामी दिनांक 04/4/24 को पेश हो।	
	04/4/24	प.क्र.उप.। बहस T.I. सुनी गयी। बहस पर मनन किया [illegible] 2021 ने पेश किये। [illegible] पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि	

सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Badgujar
Date: 2024.10.25 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

ACM-चौमू-प्रथम

बनाम मन्नी वगै०

नाम न्यायालय 13/19

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में नाहरमल/प्रार्थीगण द्वारा 07/1/2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी नं. 5 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया गया। जो कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विक्रय-पत्र की छाया प्रति से स्पष्ट है जिसके खण्डन में प्रार्थीगण द्वारा जानकारी के अभाव में उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध करवाने का कथन किया गया है जो कि साक्ष्य से शून्य है तथा विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिसका उन्हें पैतृक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त है। उक्त विवेचना उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का बारीक अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीगण के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/01/2002 को निष्पादित करवाया व लगभग 17-18 वर्ष उपरान्त राजस्व न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है किन्तु [illegible] बताये गये विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय [illegible] गया है अतः [illegible] न्यायालय से [illegible] क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण [illegible] उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Badgujar
Date: 2024.10.25 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

विशेष विवरण

फर्द अहकाम

श्रवणी बनाम मन्नी वगै०

न्यायालय ACM-चौमू

संख्या 13/19

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नकल नम्बर से मय-शुदा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Badgujar
Date: 2024.10.25 16:29:19 IST
Reason: SelfAttested